न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मोहम्मद ताहिर, आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या :— 30 / प्रा0पत्र / 2019

1. मोती आ0 माधो जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
2. गोबरिया आ0 माधो जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
3. कैलाश आ0 माधो जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
4. गोपाल आ0 बरधा जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
5. श्रवण लाल आ0 बरधा जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
6. रतन बाई पुत्री बरधा जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
7. मोत्या बाई पुत्री बरधा जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
8. नन्द लाल आ0 सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
9. रामरतन आ0 सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
10. राम लाल आ0 सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
11. कमला पुत्री सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
12. जमना पुत्री सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

13. मूर्ती बाई पुत्री सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

14. बादाम पुत्री सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

15. मोहर बाई पुत्री सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

16. धापू बाई पत्नी सोपाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

17. भंवर लाल आ0 देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

18. कन्हैया लाल आ0 देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

19. प्रकाश आ0 देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

20. बद्री लाल आ0 जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

21. धन्नी बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

22. गुलाब बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

23. नटी बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

24. सुगना बाई पुत्री देवी लाल जाति काछी निवासी ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. घासी मोहम्मद आ0 हजारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

2. बाबूद्दीन आ0 हजारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

3. पप्पूद्दीन आ0 हजारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

4. रफीक मोहम्मद आ0 हजारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

5. अब्दुल हकीम आ0 हजारा जाति मुसलमान निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

6. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 43 (4) आर.टी. एक्ट

प्रार्थना पत्र बाबत रहन मुक्त किये जाने कृषि भूमि

उपस्थित —

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नन्द सिंह सोलंकी

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 स्वयं उपस्थित

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 03.06.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :—

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 06.05.2019 को पेश किया। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार हजारा, मकबूल, जमाल पि0 रसूल कोम मुसलमान निवासी जमीतपुरा के रहन दर्ज हो रही है। उपरोक्त हजारा, मकबूल, जमाल का देहान्त हो चुका है। मकबूल व जमाल के वारिसान ने उपरोक्त भूमि प्रतिफल प्राप्त करके हजारा के वारिसान को सुपुर्द कर दी थी। वर्तमान मे उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे कास्त में है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत

5 के पूर्वजों के पास भोगबन्धक के रूप मे रहन थी। काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 4 के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के पश्चात कानूनन भोगबन्धक समाप्त हो जाता है तथा भूमि हर प्रकार के भार एवं विल्लगंमो से मुक्त मानी जाती है तथा भूमि का कब्जा वापिस खातेदार को सम्भला दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार तालेड़ा से कई बार इस बाबत निवेदन किया कि उक्त रहन के इन्द्राज को हटा कर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे परन्तु तहसीलदार तालेड़ा ने प्रार्थीगण का रहनमुक्त करने का प्रार्थना पत्र भी लेने से इंकार कर दिया। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज मु0बि0क0 के इन्द्राज को हटाकर दुरूस्त करावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 10.05.2019 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा में वर्णित किया कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि रहनमुक्त किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है तथा राजीनामा पेश करने में उभयपक्षों में किसी प्रकार की कोई दुरभीसन्धि नही है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार का विधिक उल्लघंन नहीं है। प्रार्थना पत्र का न्यायोचित निर्णय के लिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 4 का अवलोकन किया गया। उक्त धारा के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के पश्चात कानूनन भोगबन्धक समाप्त हो जाता है तथा भूमि हर प्रकार के भार एवं विल्लगंमो से मुक्त मानी जाती है तथा भूमि का कब्जा वापस खातेदार को सम्भला दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त कानून के प्रकाश में प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि को रहनमुक्त करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने रहन मुक्त भूमि स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नोताड़ा भोपत तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0) की वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
ता

जमाबंदी में दर्ज रहन के नोट को हटाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा